

राजस्थान सरकार  
प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग

क्रमांक:- प. 13(1)प्र.सु./सम./अनु.-1/2019

जयपुर, दिनांक:- 13.12.2019

परिपत्र

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा की गई जनसुनवाई एवं राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर प्राप्त परिवेदना प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण तथा आमजन के लिए संचालित की जा रही योजनाओं एवं विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन को गति प्रदान करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा सम्भागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर के साथ दिनांक 5 दिसम्बर, 2019 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई थी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा उक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, प्रति माह आयोजित किए जाने के निर्देश प्रदान किए गए हैं। इस क्रम में दिनांक 5 दिसम्बर, 2019 को आयोजित प्रथम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा प्रदत्त प्रमुख निर्देशों की ओर आपका ध्यान पुनः आकृष्ट किया जाता है, यथा:-

- आमजन की समस्याओं के जिला एवं विभागीय स्तर पर ही निस्तारण के लिए नियमित जनसुनवाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे।
- सुशासन के लिए जनसुनवाई को और अधिक सार्थक व प्रभावी बनाया जावे ताकि आमजन के प्रति मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए उनकी समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जा सके। इसके लिए सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा, आवंटित कार्य को, और अधिक तत्परता एवं जिम्मेदारी के साथ सम्पादित किया जावे।
- माननीय मुख्यमंत्री महोदय की जनसुनवाई में प्राप्त एवं राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज परिवेदनाओं पर निर्धारित समयावधि में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।
- विभिन्न योजनाओं से संबंधित, लम्बित प्रकरणों के लिए, प्रत्येक जिले में विशेष शिविर आयोजित कर अविलम्ब निस्तारण किया जावे।

कृपया उक्त आदेशों की अनुपालना आवश्यक रूप से सुनिश्चित करवायें।

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा सम्भागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर के साथ प्रति माह की जाने वाली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के निर्देशों तथा मुख्य सचिव महोदय द्वारा सम्भागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर के साथ प्रत्येक पखवाड़े में की जाने वाली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए सम्भागीय आयुक्त द्वारा मॉनीटरिंग की जाये।

उक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के निर्देशों की अनुपालना हेतु, जिला स्तर पर संबंधित विभागों से समन्वय एवं मॉनीटरिंग के लिए मुख्य आयोजना अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाकर जिला कलेक्टर द्वारा साप्ताहिक समीक्षा की जाये।

(डॉ. आर. वैकटेश्वरन)  
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय
2. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव
3. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/ प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिवगण
4. समस्त सम्भागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर
5. रक्षित पत्रावली

(अरुण प्रकाश शर्मा)  
संयुक्त शासन सचिव